उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

आपराधिक अपील संख्या–391 वर्ष 2018

कुलवंत सिंह .....अपीलकर्ता

बनाम्

उत्तराखंड राज्य .....उत्तरवादी

उपस्थित :

श्री अजय वीर पुण्डीर, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता

श्री जे0 एस0 विर्क, विद्वान उपमहाधिवक्ता श्री राकेश कुमार जोशी के साथ राज्य के विद्वान संक्षिप्त धारक अधिवक्ता

श्री एम0 एस0 पाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बी0 एम0 पिंगल परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के साथ

फैसला सुरक्षित : 21.06.2022

फैसला सुनाया गया : 02.09.2022

कोरमः श्री एस0 के0 मिश्र, न्यायमूर्ति

श्री आर0 सी0 खुलवे, न्यायमूर्ति

(दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात् इस न्यायालय द्वारा निम्न निर्णय पारित किया गयाः न्यायमूर्ति श्री एस0 के0 मिश्रा के अनुसार)

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए दण्ड संहिता के रूप में संदर्भित) की धारा 302, 324 और 504 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोषी ठहराये जाने के बाद अपीलकर्ता कुलवंत सिंह द्वारा प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नैनीताल द्वारा सत्र परीक्षण संख्या–109 वर्ष 2013 दिनांक 10.10.2018 में दिये गये निर्णय के विरूद्ध अपील किया है। उसे

दण्ड संहिता की धाराएं 302, 324, 504 सपठित धारा 30 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आरोपित किया गया था। उसे उपरोक्त वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया था। उसे दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास और 50000/– रुपये अर्थदण्ड की सजा दी गई है। अर्थदण्ड का भुगतान न किये जाने की अवस्था में उसे एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई है; उसे दण्ड संहिता की धारा 324 के अंतर्गत एक वर्ष के कारावास और 3000/– रुपये अर्थदण्ड की सजा दी गई है, अर्थदण्ड का भुगतान न किये जाने की स्थिति में एक महीने के साधारण कारावास की सजा दी गई है और दण्ड संहिता की धारा 504 के अंतर्गत 2000/– रुपये अर्थदण्ड की सजा दी गई है और अर्थदण्ड का भुगतान न करने की स्थिति में उसे एक महीने के साधारण कारावास की सजा दी गई है। यह आदेशित किया गया है कि सभी मौलिक सजायें एक साथ चलेंगी।

2. अनावश्यक विवरणों से रहित अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलकर्ता कुलवंत सिंह मृतक हरजीत सिंह का चचेरा भाई है और उसके घर के समीप ही रहता था। दोनों के मध्य अपीलकर्ता द्वारा मृतक के कक्ष के समीप अनावश्यक रूप से कार का हॉर्न बजाने को लेकर विवाद था। घटना की रात्रि करीब 10:00 बजे अपीलकर्ता घर से होते हुये विशेष रूप से मृतक के कमरे के पास से गुजरते हुये अपने घर आया और बिना किसी कारण अपनी कार का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसके कारण मृतक जो अपने कमरे में टी0 वी0 देख रहा था बाहर आकर विरोध किया, उसके विरोध पर अपीलकर्ता ने मृतक से कहा कि वह अपने आप को बड़ा समझता है और उसे वह सबक सिखायेगा और अचानक अपनी लाईसेंसी बंदूक (पिस्तौल) निकाली और मृतक पर कई राउंड फायर किये, जिसके परिणामस्वरूप आये जख्मों के कारण मृतक जमीन पर गिर गया। सूचक निम्रत पाल सिंह और सूचक कमलजीत सिंह मृतक को बचाना चाह रहे थे तो वे भी बंदूक की गोली लगने से घायल हो गये। इस तरह के हमले के

परिणामस्वरूप, आग्नेयास्त्र के माध्यम से हरजीत सिंह को गंभीर चोटें आईं और जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही उसने अंतिम सांस ली और इसलिए उसके शरीर को उसके घर वापस लाया गया। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि कई राउंड फायरिंग होने के बाद, अपीलकर्ता उनके घरों को अलग करने वाली अहाते की दीवार के पीछे छिप गया। और या तो जमीन से कुछ उठा लेता था या तो जमीन पर कुछ छोड़ देता था। चूंकि मृतक के घर में कोहराम मच गया था और मृत्यु के कारण बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गये थे, प्राथमिकी उस दिन नहीं बल्कि अगले दिन दर्ज की गई थी।

प्राथमिकी दर्ज होने पर आपराधिक मामला संख्या I–275 / 2013 दण्ड संहिता की धारा 302, 307 और 504 के दण्डनीय अपराध के अंतर्गत दर्ज किया गया था। अनुसंधान का भार थाना प्रभारी ने अपने हाथ में लिया। अनुसंधान के क्रम में, पुलिस अधिकारी ने मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया, घटनास्थल का निरीक्षण किया, खून लगे मिट्टी इकट्ठा किया, मृत शरीर का अन्त्यपरीक्षण के लिए भिजवाया, परिवादी और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किये, और अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से लाईसेंसी रिवाल्वर सहित कुछ खाली कारतूस भी बरामद किये। जांच एजेंसी ने भौतिक वस्तुओं को रासायनिक और फारेंसिक जांच के लिए राज्य फारेंसिक और विज्ञान प्रयोगशाला देहरादून भेजा। अनुसंधान समाप्ति के पश्चात् उपरोक्त वर्णित अपराधों के लिए आरोप पत्र समर्पित किया गया।

3. बचाव पक्ष द्वारा इस मामले में झूठा फंसाये जाने की अभ्यर्थना की और कहा कि अभियुक्त और उसके मध्य तनावपूर्ण संबंध के कारण उसे झूठा फंसाया गया है।

4. अभियोजन द्वारा मामले को प्रमाणित करने के लिए कुल पंद्रह साक्षियों का परीक्षण कराया गया। पी0 डब्लयू0 2 निम्रत पाल सिंह मामले के सूचक हैं। जख्मी साक्षी होने के कारण यह एक चक्षुदर्शी साक्षी हैं, पी0 डब्लयू0 3 कमलजीत सिंह दूसरे जख्मी साक्षी हैं, पी0 डब्लयू0 4 श्रीमती

निन्दर कौर मृतक की विधवा, पी0 डब्लयू0 5 श्रीमती गुरविन्दर कौर मृतक की पुत्री, पी0 डब्लयू0 6 मंजीत कौर मृतक के परिवार का सदस्य घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं, पी0 डब्लयू0 11 इंद्रजीत सिंह मृतक और अपीलकर्ता दोनों के सामान्य संबंधी हैं, इनके द्वारा पी0 डब्लयू0 2 निम्रत पाल सिंह के निर्देश पर एफ0 आई0 आर0 लिखा गया। पी0 डब्लयू0 1 भगवान गिरी गोस्वामी, पी0 डब्लयू0 10 राजीव कुमार, पी0 डब्लयू0 12 फकीर राम पुलिस के सिपाही हैं, इनके द्वारा अनुसंधान अधिकारी के द्वारा दिये गये निर्देशों का क्रमशः पालन किया गया है जैसे मृत्यु समीक्षा और जब्ती तैयार किये जाने में, मृतक के शव को शवगृह और अन्त्यपरीक्षण के लिए ले जाने तथा वस्तु प्रदर्श संबंधी सील किये गये पैकेट को एफ0 एस0 एल0 को रासायनिक परीक्षण के लिए ले जाना।

पी0 डब्लयू0 8 डॉक्टर राहुल लासपाल और पी0 डब्लयू0 9 डॉक्टर देवेन्द्र सिंह पांचाल दो चिकित्सा पदाधिकारी हैं जिनके द्वारा क्रमशः जख्मी चक्षुदर्शी साक्षी पी0 डब्लयू0 2 और पी0 डब्लयू0 3 का परीक्षण किया गया तथा पुलिस द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर मृतक के शरीर का अन्त्यपरीक्षण किया गया।

कुल तीन उप निरीक्षकों पी0 डब्लयू0 7 राजेन्द्र सिंह विष्ट, पी0 डब्लयू0 13 निरज भाकुनी और पी0 डब्लयू0 14 मोहन चन्द्र पाण्डेय द्वारा अनुसंधान के विभिन्न स्तरों पर अनुसंधान में भाग लिया गया है और महत्वपूर्ण पुलिस कार्रवाई जैसे वस्तु प्रदर्शों की जब्ती, अभियुक्तों की गिरफ्तारी, साक्षियों का परीक्षण जैसे कार्य किये गये हैं। पी0 डब्लयू0 15 इंस्पेक्टर इंद्र सिंह राणा द्वारा शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अपीलकर्ता को अभियोजित किये जाने के लिए अनुशंसा प्राप्त की गई है और तत्पश्चात् उपरोक्त वर्णित अपराध के अंतर्गत अपीलकर्ता के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय वीर पुन्दीर द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा मामले को युक्तियुक्त संदेहों से परे प्रमाणित नहीं किया जा सका है चूंकि कथित अपराध कारित करने का कोई हेतु नहीं था और अपीलकर्ता ने अपराध कारित करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की थी। उन्होंने आगे कहा कि एफ0 आई0 आर0 दर्ज करने में कुछ घंटों का विलंब किया गया है जबकि प्रतिवेद्य पुलिस चौकी घटनास्थल से मात्र सात किलोमीटर दूर है तथा उपरोक्त आपराधिक मामला केवल इसलिए प्रारम्भ किया गया है क्योंकि मृतक और अपीलकर्ता के परिवार के मध्य कड़वाहट भरा संबंध था। उन्होंने आगे कहा कि गिरफ्तारी दिनांक 18.05.2013 को समय 08:30 बजे पूर्वाह्न रामपुर रोड हल्दानी स्थित मेहता चेरिटबल अस्पताल के नजदीक दिखलाया गया है जो कि एक व्यस्त स्थान है लेकिन गिरफ्तारी मेमो में अपीलकर्ता के कहने से 0.32 बोर की लाईसेंसी पिस्तौल की झूठी बरामदगी में किसी सार्वजनिक गवाह का उल्लेख नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा कि संदर्भ के अंतर्गत मृतक के शरीर से दो गोलियां एकत्र की गई थी जो कि अस्त्र विज्ञान विशेषज्ञ द्वारा अलग बोर की बताई गई हैं। अपने प्रतिवेदन में विशेषज्ञ ने यह प्रतिवेदित किया है कि गोलियों 0.30 इंच और 7.62 मिलीमीटर बोर की थी और इसलिए अभियोजन अपने मामले को प्रमाणित करने में विफल रहा है क्योंकि अपीलकर्ता का संदर्भित लाईसेंसी हथियार 0.32 इंच बोर का था। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्यों पर इस तथ्य के आधार पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि पी0 डब्लयू0 10 राहुल लासपाल ने पी0 डब्लयू0 8 निम्रतपाल सिंह और पी0 डब्लयू0 3 कमलजीत सिंह के व्यक्ति पर बंदूक की गोली का कोई चोट नहीं पाया है। उन्होंने आगे कहा कि कृपाल सिंह चश्मदीद साक्षी थे लेकिन उनका परीक्षण नहीं कराया गया इसलिए अभियोजन पक्ष को

संदेह है से देखा जाना चाहिए और अपीलकर्ता को उन अपराधों से दोषमुक्त कर दिया जाना चाहिए जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया।

विद्वान उप महाधिवक्ता श्री जे0 एस0 विर्क ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा कि अभियोजन द्वारा परीक्षित पांच चश्मदीद साक्षियों के निर्विवाद साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे प्रमाणित कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि चिकित्सा साक्ष्य ने निश्चित रूप से इस अर्थ में अभियोजन का समर्थन किया है कि मृतक को बंदूक की गोलियों के अनेक चोटों का सामना करना पड़ा था जो कि आग्नेयास्त्र के कारण हो सकता था और शस्त्र परीक्षण प्रतिवेदन इस आधार पर अभियोजन मामले को नहीं नकार रही है कि बैलेस्टिक विशेषज्ञ ने यह प्रतिवेदन किया कि खंडित गोलियों 0.30 इंच कैलिबर की हो सकती है। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का उल्लेख करते हुये राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि जिन मामलों में वास्तविक घटना के घटित होने के पर्याप्त समय बाद गिरफ्तारी होती है तब इस बात की स्थिर संभावना हो सकती है कि अभियुक्त ने हथियार बदल लिया हो और इस मामले में अनिवार्य बैलेस्टिक रिपोर्ट को अभियोजन पक्ष की कमजोरी के रूप में नहीं लिया जायेगा। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे मामले जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से चश्मदीद साक्षियों का परीक्षण कराया जाता है उनके साक्ष्य बहुत उच्च स्तर के होते हैं और मेडिकल रिपोर्ट तथा कई अन्य उपस्थित साक्ष्यों द्वारा समर्थित होते हैं तथा वे घटना के प्राकृतिक साक्षी होते हैं, अतः बैलेस्टिक रिपोर्ट की अनिर्णायकता किसी भी तरह अभियोजन मामले को संदिग्ध नहीं बनायेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तथ्यात्मक रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये न्यायालय के समक्ष यह गलत कथन किया कि पी0 डब्लयू0 8 डॉक्टर राहुल लासपाल ने पी0 डब्लयू0 3 कमलजीत सिंह से संबंधित एक्स–रे प्लेट की जांच करने के बाद यह पाया कि वह वहां उपस्थित अंडाकार आकार की धातु की छाया को देख

सकते हैं जो पी0 डब्लयू0 3 के शरीर में एक्स–रे के समय एक धातु पिंड या धातु पिंड के कणों को पूर्ण रूप से दिखलाता है जिसका आकार 5 x 2 मिलीमीटर आकार का था इसलिए राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आपराधिक अपील में कोई योग्यता नहीं है और अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और दण्डादेश को इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

शिकायत के विद्वान अधिवक्ता ने भी विद्वान उपमहाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये कथनों का समर्थन किया। ऐसे मामलों में जहां अभियोजन पक्ष का आरोप है कि अपीलकर्ता ने आग्नेयास्त्र से मृतक की हत्या की है तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्यांकन सर्वप्रथम करे। यदि यह दर्शित कर दिया जाता है कि चिकित्सीय साक्ष्य उत्तम प्रकृति का है और मृतक ने आग्नेयास्त्र से आये चोटों को सहा है और उसके कारण उसकी मृत्यु हुई है, तब न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्षियों के परीक्षण के लिए बढ़ना चाहिए।

6. इस मामले में बचाव पक्ष द्वारा इस पर कोई विवाद नहीं किया गया है कि मृतक हरजीत सिंह के मृत शरीर का अन्त्यपरीक्षण पी0 डब्लयू0 9 देवेन्द्र सिंह पांचाल द्वारा किया गया था। उसके शरीर को अनुसंधान अधिकारी के आदेश पर पी0 डब्लयू0 10 सिपाही राजीव कुमार द्वारा मार्गरक्षण किया गया था। दिनांक 17.05.2013 को सुबह 10:00 बजे अन्त्यपरीक्षण किये जाने के क्रम में डॉक्टर द्वारा यह पाया गया कि मृतक का मृत शरीर 45 वर्ष के पुरूष का है। उनके द्वारा यह पाया गया कि मृतक के मृत शरीर पर शव काठिन्य उपस्थित था। आगे के परीक्षण में डॉक्टर ने निम्न जख्म पायेः–

(i) प्रवेश घाव अंडाकार आकार 7.1 x 1.1 सेमी0 लाल भूरा रंग छाती की दायीं ओर मध्य भाग 9 डी0 एम0 नीचे हंसली के मध्य भाग। पार्श्व उल्टा और गोली जाने का रास्ता मध्यतः नीचे

की ओर और पीछे की ओर हृदय के दाहिने एट्रियम में छेद स्ट्रेनम में फ्रैक्चर खंडित गोली के रूप में बायें तरफ के 12वें और 11वें रीब के मध्य से बरामद एक बाहरी वस्तु।

(ii) प्रवेश घाव अंडाकार 1.8 x 1 सेमी0 लाल भूरा रंग छाती के थेसुप्रा स्तन क्षेत्र के मध्य में उपस्थित दाहिने निप्पल के ऊपर 3 सेमी0 व्यास पीछे की ओर दाहिने फेफड़े के नीचले भाग के रेखांकन और यकृत के दाहिने भाग में विर्दीण घाव, आंतों में घाव और धात्विक तन शरीर के साथ विकृत गोली कशेरूक स्तंभ एल0 2 और एल0 3 के पास पेट से बरामद।

(iii) प्रवेश घाव 8 x 7 सेमी0 गोलाकार दाहिने हाथ के पार्श्व में कंधे के अंतराल के नोक के नीचे उल्टा आकार एवं लाल भूरा रंग जमे हुये खून के साथ उपस्थित, दिशा दाहिने हाथ का भीतरी भाग नीचे की ओर।

(iv) निकास घाव 3 x 2.5 सेमी0 अंडाकार आकार दाहिने हाथ का भीतरी भाग 20 सेमी0 नीचे कंधे के हाशिये पर जमे हुये खून के साथ उपस्थित।

(v) प्रवेश घाव 1.8 सेमी0 तीरछे आकार का दाहिने हाथ का पार्श्व पहलू 8 सेमी0 दाहिनी कोहनी के जोड़ से सिरे के ऊपर उल्टा थक्केदार रक्त उपस्थित है। घाव के रास्ते की जांच करने पर नीचे की ओर निर्देशित और बांह के दोनों हड्डियों का फ्रैक्चर और गोली के अवशेष धात्विक भाग का 1/3 तत्व दाहिने बांह के साफ्ट से बरामद।

(vi) प्रवेश घाव आकार 1 x 1.8 सेमी0 लाल भूरा रंग दाहिने हाथ का ऊपरी भाग छोटी ऊंगली के नीचे 3.0 सेमी0। अंतर उल्टा और प्रविष्टि में रक्त उपस्थित।

(vii) बाहर निकला घाव अंडाकार आकार 2.5 x 2 सेमी0 लाल भूरा रंग रूकी हुई आकृति दाहिने हाथ के नीचले हिस्से के पार्श्व पहलू पर कलाई के जोड़ के समीप थक्केदार रक्त और दाहिने बांह के एक तिहाई हिस्से के नीचे दोनों हड्डियों का फ्रैक्चर।

7. उन्होंने शपथ पर आगे कहा कि सभी सातों जख्म आग्नेयास्त्र द्वारा कारित पाये गये और दिनांक 16.05.2013 को लगभग 10:30 बजे रात्रि की हो सकती है। उनके कहने के अनुसार मृतक के मृत्यु का कारण जख्म संख्या–1 और 2 हैं। उन्होंने यह भी पाया कि दूसरा जख्म लाल–भूरे रंग का निशान आकार 1 X 1 सेमी0 जो कि जख्म संख्या–1 से 5 सेमी0 दूर छाती के पैरास्ट्रेनल क्षेत्र में मौजूद था। उन्होंने कहा कि वह चोट गोली लगने के बाद मृतक के गिरने के कारण हो सकती है। उन्होंने विशेष रूप से यह उल्लेख किया कि मृत्यु का कारण हृदय और दाहिने फेफड़े में छेद होने और घाव संख्या–1 और 2 के परिणामस्वरूप सदमे और रक्त स्त्राव के कारण हुआ है। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रमाणित किया है जिसे प्रदर्श–क 30 अंकित किया गया है। उन्होंने कहा कि मृतक के मृत शरीर पर पाये गये चोट चार फीट अथवा अधिक दूरी से आग्नेयास्त्र द्वारा कारित किये जा सकते हैं। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक के शरीर पर कुल पांच घाव प्रवेश के थे और दो घाव बाहर निकलने के थे।

8. हालांकि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पुण्डीर द्वारा इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि यदि पांच प्रवेश घाव हैं तो पांच निकास घाव होने चाहिए, यह न्यायालय इस प्रकार के तथ्यों से प्रभावित नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामान्य तौर पर बंदूक की गोली से लगी चोट में गोली पूरी तरह से शरीर से होकर निकलेगी या नहीं यह गोली की क्षमता, आग्नेयास्त्र की प्रकृति, क्या वह लंबा या छोटा बंदूक है और वह हिस्सा जिसपर गोली लगती है, पर निर्भर करेगा। यदि प्रवेश के बाद गोली शरीर के अंदर किसी हड्डी के सम्पर्क में आती है तो पूरी संभावना है कि पिस्टल की गोली पूरी तरह से शरीर के आर–पार नहीं जायेगी, लेकिन राईफल से गोली मारने की स्थिति में ज्यादातर मामलों में गोली आर–पार हो जायेगी और वहां से निकल जायेगी और प्रत्येक प्रवेश घाव के लिए संबंधित निकास घाव होगा। परन्तु पार्श्व आग्नेयास्त्र अथवा हस्तबंदूक के मामले में ऐसी स्थिति हमेशा संभव नहीं होता। इसके अलावा अभिलेख

से यह स्पष्ट है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से लंबा प्रतिपरीक्षण किया गया है, परन्तु उसके मुंह से कुछ भी ठोस नहीं निकला है कि उसने झूठा कथन किया है। इसलिए बचाव पक्ष डॉक्टर के साक्ष्य को खारिज करने में सक्षम नहीं हुआ है कि मृतक के शरीर पर गोलियों के पांच घाव (दो बाहर निकलने के घावों को छोड़कर) थे और पहले दो गोलियों के घाव के परिणामस्वरूप दिल में और दाहिने फेफड़े में छेद होने के कारण सदमे और रक्त स्त्राव के कारण मृत्यु हो गई और इसलिए मृतक की मृत्यु निश्चित रूप से मानववध था और वह आग्नेयास्त्र के कारण हुआ था।

9. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि साक्षी विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि वे मृतक के रिश्तेदार हैं। कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मात्र दोनों पक्षों में दुश्मनी होने, यानी मृतक और हमलावर, चश्मदीद साक्षियों के साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता। भारतीय न्यायालयों ने अभियुक्त के विरूद्ध लगाये आरोपों के संबंध में चश्मदीद गवाहों को सबसे अच्छा गवाह माना है जब तक की इन गवाहों के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई ठोस कारण नहीं है इन साक्ष्यों को विचार से दूर नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा पुरानी दुश्मनी अथवा साक्षियों की मृतक के साथ संबंध का हमेशा यह अर्थ नहीं है कि उनके साक्षियों की जांच हमेशा बहुत सूक्ष्मता से की जानी चाहिए। सच है कुछ मामलों में जहां समूह की प्रतिद्वंदिता है, वहां यह प्रवृति होती है कि अधिक से अधिक लोगों को अपराधकारित करने में जोड़ा जाये, ऐसे साक्षियों जिनका संबंध घायल अथवा मृतक व्यक्ति से है के साक्ष्य की सूक्ष्मता से जांच की जाये किन्तु इस मामले में ऐसा नहीं है। इस मामले में केवल एक व्यक्ति ने कथित रूप से मृत्यु कारित किया है और सभी चश्मदीद साक्षियों जिन्होंने अपना साक्ष्य दिया है वे घटना के प्राकृतिक साक्षी हैं और जिस घर में घटना हुई है वहां के निवासी हैं। जब यह घटना देर रात 10:30 बजे घटित हुई जिसमें दो चचेरे भाईयों के बीच जिनका घर आपस में सटा

हुआ है तो निर्णय देने वाले न्यायालय की ओर से यह युक्तिसंगत नहीं होता कि वह स्वतंत्र साक्षियों के परीक्षण पर जोर दे क्योंकि देर रात्रि ऐसे स्थान पर कोई स्वतंत्र साक्षी उपस्थित नहीं हो सकता था। इसके अलावा श्री पुण्डीर विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन द्वारा परीक्षीत चश्मदीद साक्षियों के सत्यता पर सवाल नहीं उठाया।

10. पी0 डब्लयू0 2 निम्रत पाल सिंह इस मामले के सूचक और घायल चश्मदीद साक्षी हैं, उन्होंने शपथ पर कहा है कि घटना दिनांक 16.05.2013 रात्रि 10 बजकर 30 मिनट की है। उस समय वह और उसके चचेरे भाई कमलजीत सिंह आंगन में खाट पर बैठे हुये थे। उनकी मां श्रीमती निन्दर कौर, चाची श्रीमती मंजीत कौर और बहन गुरविन्दर कौर रसोई घर में भोजन तैयार कर रही थी। उसके चाचा कृपाल सिंह भी वहां उपस्थित थे। मृतक हरजीत सिंह अपने कमरे में टेलीविजन देख रहा था। उन्होंने आगे कहा है कि अपीलकर्ता उनके घर के बगल के मकान में रहता था। इनके पिता के कमरे के पीछे एक सड़क अपीलकर्ता के घर तक जाती थी। उस दिन कुलवंत सिंह अपनी कार में आया और मृतक के घर के खिड़की के पास हार्न बजाने लगा। इसके पूर्व भी अपीलकर्ता ने ऐसा किया है और उसके लिए उनके बीच कहासुनी हुई थी। उस दिन जब अपीलकर्ता ने मृतक के कमरे के खिड़की के पास हार्न बजाना शुरू किया, तब मृतक बाहर आया और इसका विरोध किया जिसके लिए अपीलकर्ता ने मृतक को गन्दी और अश्लील भाषा में गालियां देना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद मृतक ने अपीलकर्ता के द्वारा प्रयुक्त भाषा पर आपत्ति की और तब अपीलकर्ता ने पिस्तौल जैसा छोटा हथियार निकाला और दीवार के दूसरे तरफ से इनके पिता पर गोलीयां चलाना प्रारंभ कर दिया, इस गोलीबारी के परिणामस्वरूप मृतक के शरीर पर रक्त स्रावित जख्म हुये और वह वहीं पर गिर गया।

शिकायतकर्ता और उसके भतीजे कमलजीत सिंह ने मृतक को बचाने का प्रयास किया लेकिन उन्हें भी आग्नेयास्त्र से चोट लगी। उसके बाद, अपीलकर्ता कुछ गिराने या उठाने के लिए नीचे झुका और घटनास्थल से भाग गया।

साक्षी शपथ पर आगे बताता है कि घायल हो जाने पर उसके पिता को उपचार के लिए ले जाया गया पर रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें घर वापस लाया गया। अगले दिन मामले की सूचना अपीलकर्ता को दी गई और पुलिस ने अनुसंधान प्रारम्भ कर दिया। क–9 एफ0 आई0 आर0 है जिसे पी0 डब्लयू0 2 और पी0 डब्लयू0 11, जिसने उसे लिखा है प्रमाणित किया गया है। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि हो सकता है अपीलकर्ता द्वारा उसके पिता पर लाईसेंसी पिस्तौल अथवा अवैध आग्नेयास्त्र से गोली चलाई गई हो और अपीलकर्ता अवैध हथियार भी रखता था। इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण किया गया है और बचाव पक्ष द्वारा साक्षी के साक्ष्य में धारा 161 संहिता के अंतर्गत दिये गये पूर्व बयान के संबंध में ऐसा कोई मौलिक विरोधाभास नहीं दिखाया गया है।

11. हमने पी0 डब्लयू0 2 निम्रत पाल सिंह, पी0 डब्लयू0 3 कमलजीत सिंह, पी0 डब्लयू0 4 श्रीमती निन्दर कौर, पी0 डब्लयू0 5 गुरविन्दर कौर और पी0 डब्लयू0 6 श्रीमती मंजीत कौर के बयान की जांच की। सभी मृतक के संबंधी हैं। इस संबंध में कोई विवाद नहीं है। ये साक्षी उस घर के निवासी हैं जहां घटना घटित हुई। घटना रात्रि के 10 बजकर 30 मिनट पर घटित हुई इसलिए युक्तियुक्त रूप से यह आशा की जाती है कि घर के सभी सदस्य उपस्थित होंगे और घटना के चश्मदीद स्वतंत्र साक्षी की खोज किया जाना एक पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण होगा। यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि इन गवाहों का साक्ष्य के साक्षियों में सच्चाई का अंश है। उनके साक्ष्यों में कोई मौलिक विरोधाभास नहीं है। इनके साक्ष्यों में कुछ मामूली अथवा प्राकृतिक विविधतायें देखी गई हैं परन्तु इस तरह के लघु विविधतायें स्वभाविक हैं। दूसरी ओर

इन सभी गवाहों के साक्ष्य एक समान होते तो साक्ष्य संदिग्ध हो जाता कि उसे रट कर दिया गया है। साक्षियों के साक्ष्य में प्राकृतिक अथवा लघु विभिन्नतायें बहुत परिणामकारी नहीं होते जबकि अभियोजन मामले का आधार युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित हो चुका है। इस मामले में अभियोजन पक्ष का आरोप है कि अपीलकर्ता ने लगभग चार फीट या उससे कम दूरी से मृतक पर गोली चलाई थी और मृतक बंदूक की पांच गोलियों से घायल हुआ था जिसके बारे में कहा गया कि उसे आग्नेयास्त्र से कारित किया गया और वह मृत्यु का कारण बना, ऐसी परिस्थिति में अभियोजन मामले को संदेह से नहीं देखा जाना चाहिए। सच है अभियोजन द्वारा यह स्वीकार किया गया कि मृतक और अपीलकर्ता के बीच में कड़वाहट भरा संबंध था इस कारण से बचाव पक्ष ने यह सुझाव दिया कि सभी गवाहों ने झूठी गवाही दिया है और अपीलकर्ता को ऐसे अपराध में फंसाया है जो कि उसने नहीं किया था। ऐसा तर्क मिथ्या है और व्यक्तियों के सामान्य आचरण के सिद्धांत के विरूद्ध है जिनके निकट और प्रिय ने अपना जीवन अपने विरूद्ध अपराध के कारण खो दिया है। एक निकट संबंधी कभी भी न्यायालय में आकर गलत साक्ष्य देकर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के संबंध में नहीं फंसायेगा और उसके द्वारा वास्तविक अपराधी को वैध सजा से संरक्षित करेगा। संबंधों में कड़वाहट कभी–कभी झूठे आरोप का कारण बनती है परन्तु अनेकानेक मामलों में संबंधों की यह कड़वाहट अपराध कारित करने के लिए हेतुक बनती है।

इस मामले में अपीलकर्ता और मृतक पहले चचेरे भाई हैं। अपीलकर्ता मृतक के मामा का पुत्र है। उनके बीच में कुछ मामूली झगड़े जिसमें मृतक के खिड़की के नजदीक अनावश्यक हार्न बजाना को लेकर कड़वाहट आना प्रतीत होता है। समग्रता में पूरे साक्ष्य की जांच की गई, हम पाते हैं कि सभी साक्षी न केवल स्वभाविक साक्षी हैं, वे सभी अपीलकर्ता द्वारा अपराध कारित किये जाने में उसकी संलिप्तता के संबंध में समनुरूप हैं और उनके साक्ष्य किसी भी प्रकार के भौतिक और मौलिक विरोधाभास से आक्रान्त नहीं है और पी0 डब्लयू0 9 डॉक्टर देवेन्द्र सिंह

पांचाल और पोस्टमार्टम परीक्षण अर्थात् का–30 के रूप में उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी अनुसमर्थित है।

12. दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस मामले में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया वह वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा किये गये फारेंसिक/बैलेस्टिक परीक्षण के परिणाम जो कि पेपर बुक के पृष्ठ संख्या–64 पर दिखाई देती है वह प्रदर्श का–41 का भाग है। उन्होंने कहा कि संदर्भित मामले में गोलियों के अंश दो गोलियों के भाग लगते हैं। मानक डेटा के साथ सम्पूर्ण परीक्षण और तुलना करने पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संदर्भ के अंतर्गत की गोलियां 0.30/7.65 एम0 एम0 बोर की हो सकती हैं। सबसे पहले यह उल्लेखनीय है कि गोलियां अपने सम्पूर्णता में बरामद नहीं हुई। गोलियां का अंश बरामद हुआ और दूसरा कि बैलेस्टिक विशेषज्ञ द्वारा यह कहा गया कि वह 0.30 इंच/7.62 बोर की हो सकती हैं। उन्होंने इस संबंध में कोई निश्चयात्मक विचार नहीं प्रकट किया। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि बैलेस्टिक विशेषज्ञ ने इस संभावना को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है कि अपीलकर्ता के पास से जब्त आग्नेयास्त्र अपराध के कारित होने में प्रयोग नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त गुलाब बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य (2021) एस0 सी0 सी0 ऑनलाईन एस0 सी0 1211 और गुरचरण बनाम् पंजाब राज्य (1963) 3 एस0 सी0 आर0 585 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णित किया गया है कि बैलेस्टिक प्रतिवेदन यदि अनिर्णायक है तो वह अभियोजन मामले को अविश्वसनीय नहीं बनायेगी जबकि घटना के गवाहों का कथन निर्दोष हो।

14. इसके अलावा अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि घटना 16.05.2013 की रात्रि की है और अपीलकर्ता दिनांक 18.05.2013 को गिरफ्तार कर लिया गया। अपीलकर्ता घटना के लगभग दो दिनों बाद गिरफ्तार किया गया, इससे अपीलकर्ता को यह अवसर मिला होगा कि वह अपना आग्नेयास्त्र बदल दे। इसके अलावा यह मत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हिमांशु मोहन राय

बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2017) 4 एस0 सी0 सी0 161 से समर्थित है जिसमें इसी प्रकार के प्रश्न पर माननीय न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः–

20. पी0 डब्लयू0 6 ने बहादुर और कृष्ण कुमार सिंह की उपस्थिति में 0.32 बोर के तीन खोखा कारतूस बरामद किये थे। स्पष्ट रूप से बैलेस्टिक विशेषज्ञ का कोई सकारात्मक प्रतिवेदन नहीं है और प्रतिवेदन यह प्रमाणित नहीं करता कि बरामद हथियार से गोली चलाई गई थी।

21. स्पष्ट रूप से पुलिस ने अभियुक्त इमरान अफरीम से एक लाईसेंसी बंदूक बरामद किया था जबकि वह एक ट्रेन में चढ़ रहा था और बैलेस्टिक प्रतिवेदन यह दर्शित करती है कि लाईसेंसी बंदूक हत्या के लिए प्रयोग नहीं की गई थी। इसका अर्थ यह है कि पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त वास्तविक शस्त्र बरामद नहीं किये और अभियुक्त के पास हथियार को निष्पादित करने का पर्याप्त समय था। हालांकि चश्मदीद साक्षियों के साक्ष्य जिन्होंने गोली चलते हुये देखा और जिन्हें सच पाया गया के साक्ष्य को अस्वीकार करना संभव नहीं है।

22. यह संभव है कि कुछ मामलों में अभियोजन वास्तविक हथियार को बरामद न कर सके। लेकिन यह विश्वसनीय चश्मदीद साक्षियों के साक्ष्य पर संदेह नहीं प्रकट कर सकता। जैसा कि यहां है कि अभियुक्त ने गोली मारकर हत्या कर दी और जबकि शीशे की गोलियां बरामद की गई और वे सभी सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाले 7.65 एम0 एम0 कैलिबर अर्थात् .32 बोर हथियार से संबंधित थे।

23. अनवरूद्दीन बनाम् शकुर (1990) 3 एस0 सी0 सी0 266 में इस न्यायालय द्वारा बैलेस्टिक विशेषज्ञ के अस्पष्ट और अनिश्चित साक्ष्य पर विचार किया गया। न्यायालय ने यह संप्रेक्षित किया

10. इस अस्पष्ट स्थिति में हम बैलेस्टिक विशेषज्ञ के सबूत को देखें तो उच्च न्यायालय पूरी तरीके से गलत था कि तीन चश्मदीद साक्षियों के प्रत्यक्ष साक्ष्य पर संदेह किया जहां विशेषज्ञ साक्ष्य अस्पष्ट और अनिश्चित है ऐसी स्थिति में चश्मदीद साक्षियों के साक्ष्य पर अनिश्चित साक्ष्य के आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में जब तक कि चश्मदीद साक्षियों का साक्ष्य कुछ सुस्पष्ट अशक्तता से प्रभावित न हो उनके बयान की सत्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता।

24. बृजपाल सिंह बनाम् मध्य प्रदेश राज्य (2003) 11 एस0 सी0 सी0 219 में इस न्यायालय ने कहा कि विश्वसनीय चश्मदीद साक्ष्य उपस्थित है कि अभियुक्त ने मृतक को गोली मारी। परन्तु बैलेस्टिक विशेषज्ञ ने बताया कि यह पाया गया दोनों बंदूकें हाल ही में गोलीबारी में प्रयोग हुई थी, खाली कारतूस जो कि घटनास्थल से बरामद की गई थी वे जब्त राईफल से मेल नहीं खाते थे। इस न्यायालय ने यह कहा कि सामान्यतयः यदि चश्मदीद साक्षियों के साक्ष्य पूर्ण रूप से स्वीकार्य हैं तब ऐसे साक्ष्य को स्वीकार किया जा सकता है यद्यपि चिकित्सीय और बैलेस्टिक प्रतिवेदन में कुछ विरोधाभास है। परन्तु इस मामले में मौखिक साक्ष्य स्वीकार करने योग्य नहीं पाये गये थे इसके विपरीत वर्तमान मामले में हम पाते हैं विशेष रूप से पी0 डब्लयू0 1 का साक्ष्य पूर्णतया सत्य और स्वीकार्य है। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह इंगित करे कि अभियुक्त को झूठे फंसाये जाने का कोई हेतु है। हम यह जोड़ सकते हैं कि उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क का कोई साक्ष्य नहीं है कि पुलिस ने अभियुक्त को फंसाने के लिए षडयंत्र की रचना की जो कि एक कांग्रेस का नेता था और उसने पुलिस के स्वेच्छाचारिता के विरूद्ध आंदोलन किया था।

25. एक अलग संदर्भ में इस न्यायालय ने गंगाभवानी बनाम् रायापति वेंकट रेड्डी और अन्य (2013) 15 एस0 सी0 सी0 298 में यह कहा था कि ऐसे मामले जिनमें चिकित्सीय साक्ष्य

और मौखिक साक्ष्य में विरोधाभास है तो कानून यह है कि चश्मदीद साक्षियों का मौखिक साक्ष्य का साक्षिक मूल्य चिकित्सक साक्ष्य से अधिक होता है, वहां जहां कि चिकित्सीय साक्ष्य मौखिक साक्ष्य की सत्यता की संभावना को पूर्णतया समाप्त करता है मौखिक साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सकता है। इस आशय का विशेषज्ञ साक्ष्य कि खाली कारतूस जो कि घटनास्थल से बरामद किये गये थे बरामद हथियार में प्रयोग नहीं किये गये थे पी0 डब्लयू0 1 के मौखिक साक्ष्य के संबंध में कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं करते कि अभियुक्त ने मृतक पर बंदूक से गोली चलाकर उसकी मृत्यु कारित किया। ऐसा होता है कि पुलिस ने जो बंदूक बरामद की है वह बंदूक प्रयोग नहीं किया गया होता है। यह पी0 डब्लयू0 1 के साक्ष्य और बैलेस्टिक रिपोर्ट में कोई विरोधाभास प्रकट नहीं करता विस्तारित रूप में यह अभियोजन मामले के संबंध में विरोधाभास प्रकट करता है।

26. इस मामले में बैलेस्टिक रिपोर्ट को खारिज कर दिये जाने की जरूरत नहीं है; यह केवल यह बताता है कि अपराधस्थल पर पाये गये खाली कारतूस अभियुक्त के पास से बरामद बंदूक से नहीं चलाये गये थे। लेकिन इसका कोई प्रभाव पी0 डब्लयू0 1 के गवाही की विश्वसनीयता पर नहीं पड़ता कि अभियुक्त ने मृतक पर बंदूक से गोली चलाई विशेष रूप से शरीर में पाये गये गोलियों से इसका अनुसमर्थन होता है। इस मामले में हम यह पाते हैं कि हिमांशु मोहन राय के साक्ष्य को दिखाई पड़ने वाले विरोधाभासों की अवहेलना करते हुये स्वीकार करना सुरक्षित होगा। हम यह तथ्य जोड़ सकते हैं कि अभियुक्त ने मृतक पर बंदूक से फायर किया जिसका अनुसमर्थन पी0 डब्लयू0 2 के साक्ष्य से भी होता है।

15. आग्नेयास्त्र के प्रयोग और उसके कैलिबर के संबंध में एक और पहलू पर विचार करने की आवश्यकता है अर्थात् पी0 डब्लयू0 7 एस0 आई0 राजेन्द्र सिंह विष्ट ने पहली बार स्थल का निरीक्षण किया और अपनी खोज में अभियुक्त के घर के नजदीक बाड़ के दूसरी ओर अपीलकर्ता

के परिसर में खाली कारतूस साक्षियों की उपस्थिति में बरामद किये और वे कारतूस फारेंसिक जांच के लिए भेजे गये जो यह स्पष्ट करते हैं कि खाली कारतूस 0.30 इंच/7.60 एम0 एम0 बोर के थे जो कि अभियोजन के मामले को समर्थन करते हैं। इसके अलावा इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया गया कि घटना मृतक के घर के भीतर घटी जहां वह और उसके परिवार के सदस्य रहते हैं। अनुसंधान एजेंसी ने भी वस्तुनिष्ट रूप से घटना का निर्धारण किया है।

15. इस मामले को देखते हुये इस न्यायालय का यह विचार है कि अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है और इसलिए प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दण्डादेश को रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि अभियोजन द्वारा इस मामले में अभिकथित हेतु का अभाव है परन्तु यह स्पष्ट है कि यह घटना तनावपूर्ण संबंधों के कारण घटित हुई लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता ने हत्या कारित करने का अपराध नहीं किया है अथवा उसने सदोष मानववध जो कि हत्या की श्रेणी में नहीं आता है का अपराध कारित किया है क्योंकि उसने मृतक पर गोली चलाई और मृतक के शरीर में पांच गोलियां लगी जो कि उसके मृत्यु का कारण बनी। इस प्रकार हमारी राय है कि यह हत्या का स्पष्ट मामला है और इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

16. इस प्रकार परिणामतः अपील सफल नहीं होती है और उसे गुणहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

17. टी0 सी0 आर0 को वापस भेजे।

न्यायमूर्ति
संजय कुमार मिश्रा

न्यायमूर्ति
रमेश चन्द्र खुलवे